न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/68

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मांगीलाल पुत्र जसाजी जाति सिरवी निवासी लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली		1. बाबुलाल पुत्र इन्दाजी जाति सिरवी निवासी लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 14 दिनांक 15.12.1983, संकल्प संख्या 1 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.07.1984 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 02.11.2020 को नोटप्रेस किये जाने से प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण करने की दृष्टि से वकील अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम लाम्बिया के बस स्टेण्ड के पास खातेदारी भूमि आई हुई है जिसके खसरा संख्या 233 एवं एक गैर मुमकिन कुआ स्थित है, जिसके खसरा संख्या 260 है। उपरोक्त भूमि के आगे आम रास्ते की भूमि है, जो सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग में आती है। ग्राम पंचायत ने नियमों की अवहेलना करते हुये उक्त रास्ते की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसे खारिज फरमाने हेतु प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका पेश की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार, पाली से प्राप्त हुई है वह गलत है क्योंकि उसमें मौके पर न तो कोई बेरा है और न ही आबादी भूमि अंकित किया है जबकि मौके पर आबादी भूमि उपलब्ध है। प्रकरण विधिविरूद्ध होने से अधिवक्ता प्रार्थी ने भी जरिये नोटप्रेस खारिज करवाने का निवेदन किया था। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिसमें कोई गलती नहीं है। अतः बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 14 दिनांक 15.12.1983, संकल्प संख्या 1 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.07.1984 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका को आगे नहीं चलाने हेतु दिनांक 02.11.2020 को नोटप्रेस किया था किन्तु प्रकरण में अंकित तथ्य अनुसार जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया था, इसलिये हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने अंकित किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि भिन्न रास्ते की भूमि पर जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया तथा तहसीलदार पाली से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें तथ्य स्पष्ट नहीं होने से मौके की यथास्थिति तय नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय से रेकर्ड में केवल पट्टा बुक ही प्राप्त हुई, मिसल तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में तहसीलदार, पाली से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08.2024 के अनुसार "जैर निगरानी पट्टे का भूखण्ड ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 261 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा जो की राजकीय भूमि है, में स्थित है। उपरोक्त भूमि में मौके पर बेरा नहीं हैं तथा बेरा के निशानात भी नहीं है। उपरोक्त पट्टे का भूखण्ड ग्राम पंचायत की आवासीय/आबादी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते की भूमि में स्थित नहीं है।" उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी न कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 261 किस्म गै.मु. बेरा में जारी किया है, जो कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से परे है। ग्राम पंचायत को नजूल सम्पति के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि का पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जानें में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लाम्बिया द्वारा मिसल संख्या 14 दिनांक 15.12.1983, संकल्प संख्या 1 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 10.07.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली